न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, ऋषिकेश, जिला–देहरादून।
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 1073 वर्ष 2022
गोलू उर्फ विश्वनाथ सेन बनाम उत्तराखण्ड राज्य।

मुकदमा अपराध संख्या 248 वर्ष 2022
अन्तर्गत धारा 392, 411 एवं 34 भा0द0सं0।
थाना–ऋषिकेश, जिला–देहरादून।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता–श्री अमित कुकरेती ।
अभियोजन की ओर से–श्री राजेश पैन्यूली
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)।

दिनांक 07.07.2022

अभियुक्त गोलू उर्फ विश्वनाथ सेन पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार, निवासी 492 चन्द्रेश्वर नगर,ऋषिकेश जिला देहरादून की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र, मु0अ0सं0 248 वर्ष 2022 अन्तर्गत धारा 392 एवं 411 व धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता प्रस्तुत किया गया तथा अभियुक्त की ओर से श्रीमती सुक्ला सेन पत्नी श्री जितेन्द्र कुमार द्वारा शपथ पत्र दाखिल किया गया।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि वादी मुकदमा श्रीमती उर्मिला देवी द्वारा थाना ऋषिकेश में इस आशय की तहरीर दी कि दिनांक 30.05.2022 को समय करीब 22:30 बजे उसका बेटा उज्जवल किसी काम से मीरा नगर पुलिया के पास से फोन से बात करते हुए जा रहा था कि तभी अचानक एक स्लेटी रंक की स्कूटी एक्टिवा जिसका नम्बर यू.के.14–सी–9094 पर बैठकर तीन लडके आये व उसके बेटे से फोन छीन कर भाग गए। जिस कारण प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध सम्बन्धित थाने पर अभियोग पंजीकृत हुआ।

3. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता ने अपने जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में यह तर्क प्रस्तुत किया है कि वह निर्दोष है, उसे उक्त मामले में पुलिस द्वारा झूठा फंसाया गया है और उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है । वह प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नहीं है। पुलिस द्वारा अभियुक्त की शिनाख्त वादी मुकदमा से नहीं करायी गयी है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है तथा जनता का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है और प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 30.05.2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः अभियुक्त द्वारा उसे जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. अभियोजन की ओर से अपने जवाब/तर्को में जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए में यह कथन किया गया है कि अभियुक्त के कब्जे से चोरी किया गया मोबाईल बरामद किया गया है तथा अभियुक्त द्वारा अपने अन्य सह अभियुक्त के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया गया है। अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है । यदि अभियुक्त को जमानत दी जाती है तो उसके फरार होने तथा साक्ष्य को प्रभावित करने की पूर्ण संभावना है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा प्रपत्रों एवं मूल पत्रावली का परिशीलन किया गया।

6. प्रस्तुत प्रपत्रों के परिशीलन व पक्षकारों के तर्क–वितर्को से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त दिनांक 30.05.2022 से जिला कारागार, देहरादून में निरूद्ध है तथा अभियुक्त से बरामदगी के

सम्बन्ध में जनता का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नहीं है । अभियोजन की ओर से अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास न्यायालय प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा मामला, मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः मामले के गुणदोष पर विचार किये बिना, लिहाजा इस स्तर पर मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों को मद्देनजर रखते अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायसंगत दर्शित हो रहा है। तदानुसार प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त गोलू उर्फ विश्वनाथ सेन पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अभियुक्त को ₹ 40,000 (₹ चालीस हजार) का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं समान धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर न्यायालय में प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(नसीम अहमद)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
ऋषिकेश, देहरादून।